न्यायालय इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 85/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

दी उज्जीवन स्माल फाईनेन्स बैं लि. पंजीकृत कार्यालय 27, पापे गार्डन वार्ड ए कोरा, 18 मैन, सिवरण ब्लॉक, कोरामंगला बेंगलूरू एवं क्षेत्रीय कार्यालय डी-7, द्वितीय एवं तृतीय फ्लोर GMTT बिल्डिंग, सैक्टर-3, नोएडा-201301

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शाहीन पत्नी अब्दुल खालीद
2. अब्दुल खालीद पुत्र श्री अहमद मोहम्मद
   पता-मकान नं. 57 डी, वार्ड नं. 39, कागजी मोहल्ला, जामा मस्जिद के सामने, सांगानेर जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

उपस्थितः-

1. किरण महाजन अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 05.04.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.09.2017 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी अब्दुल खालीद पुत्र श्री अहमद मोहम्मद के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 57 डी, वार्ड नं. 39, कागजी मोहल्ला, जामा मस्जिद के सामने, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 48.63 वर्गगज को बन्धक रख कर 8,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.06.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

मजिस्ट्रेट
र) जयपुर

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय बैंक उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि॰ को भारत का राजपत्र में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना मुम्बई 03 जुलाई, 2017 द्वारा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 8,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 7,86,370/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.06.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी अब्दुल खालीद पुत्र श्री अहमद मोहम्मद के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं॰ 57 डी, वार्ड नं॰ 39, कागजी मोहल्ला, जामा मस्जिद के सामने, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 48.63 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/4/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर